सं0 सं0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
होमी भाभा कैसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनाक...

विषय.– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **28.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	लालबाबू सिंह पिता– राजेंद्र सिंह ग्राम+पो0– आथर थाना– वासुदेवा जिला– बक्सर केस फाईल न0–18एफ2026/009830	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	शिव जी पांडेय पिता– राम दरस पांडेय ग्राम– गोसाईंपुर पो0+थाना– शाहपुर जिला– भोजपुर केस फाईल नं0– केई/11200	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रामएकबाल सिंह पिता– स्व0 लक्षमण सिंह ग्राम– बसन बिगहा पो0– उसरी थाना– शहर तेलपा जिला– अरवल केस फाईल न0–18एफ2025/001676	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	पिकी कुमारी पति– अभिषेक चौधरी ग्राम+पो0– सोनवर्षा थाना– काराकाट जिला– रोहतास केस फाईल न0–18एफ2026/014519	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	प्रियांशु कुमार पिता– सुरेश कुमार पाल ग्राम+पो0– करजी थाना– चैनपुर जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल न0–16एफ2026/001887	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	चम्पा देवी पति– स्व0 भृगुनाथ सिह ग्राम– चुन्नीटांड वार्ड 09 पो0– छोटका सिंहनपुरा थाना– सिमरी जिला– बक्सर केस फाईल नं0–18एफ2026/008456	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	विक्रम कुमार पिता– स्व0 गोपी पोद्दार ग्राम– मारर दक्षिणी पो0– मारर थाना– मोरकाही जिला– खगडिया केस फाईल न0–19एफ2026/006900	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	चिंतामणि देवी पति– जयप्रकाश नारायण पांडेय ग्राम– छितनी पो0– चतरा थाना– दावत जिला– रोहतास केस फाईल नं0–18एफ2026/008040	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रोहित राज सोनी पिता– उजाला कुमार सोनी ग्राम– उत्तरी पटेल नगर पो0+थाना– इस्लामपुर जिला– नालंदा केस फाईल नं0– सीआर/43398	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	इन्दु देवी पति– मोती लाल सिह ग्राम– हसनपुर इंग्लिश पो0– झूमर डिहरा थाना– बरूण जिला– औरगाबाद केस फाईल नं0–18एफ2026/002093	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	महेद्र पासवान पिता– उमा पासवान ग्राम– उसरी पो0– अकोढी थाना– मोहनियॉ जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल नं0–18एफ2025/020630	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सतोष कुमार पिता– ब्रह्मदेव प्रसाद ग्राम+पो0– इब्रहिमपुर थाना– बिंद जिला– नालंदा केस फाईल न0–18एफ2026/000137	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	पूनम देवी पति– राज कुमार ग्राम+पो0– खडियावा थाना– कछवां जिला– रोहतास केस फाईल न0–18एफ2026/006148	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अविषेक कुमार पिता– रामबालक प्रसाद ग्राम– अशरफपुर वार्ड 02 पो0– फतेहपुर थाना– अकबरपुर जिला– नवादा केस फाईल न0–16एफ2026/001332	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			13,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,40,000/- (**तेरह लाख चालीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000818 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **3675632747** खाता धारक का नाम– **होमी भाभा कैंसर हौस्पीटल,वाराणसी,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3006(14) पटना, दिनांक– 05-11-2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000878 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/11/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनाक. . . .

विषय– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **28.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।.

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	संजीव मिश्रा पिता– शिव कुमार मिश्रा ग्राम+पो0– बखार चडीहा थाना– पुरनहिया जिला– शिवहर यूएचआईडी नं0– 109205014	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,50,000/– (चार लाख पचास हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000898 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 10874588593, खाता धारक का नाम– AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम–एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम–**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड स0– SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती). रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2977(14) पटना, दिनाक 03/11/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000896 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक . . .

विषय– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनाक **28.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गोल्डी शर्मा पति– अरूण शर्मा ग्राम– सुप्रिया सिनेमा रोड इंद्रपुरी कालोनी पो0– बेतिया थाना– नगर जिला– पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न0– 109301836	बोन मैरो ट्रासप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 3,00,000/– (तीन लाख)** मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000898 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 – 10874584010, खाता धारक का नाम– **निदेशक, अ0 भा0 आ0 सं0**, खाते का प्रकार– चालु, बैंक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–.**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536)**, RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जाय।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2978(14) पटना, दिनाक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000898.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

मेडिकल सुप्रीटेडेट,
डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल,
नई **दिल्ली–110001**

पटना, दिनांक. . .....

विषयः– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **28.10.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार शर्मा पिता– शिव पूजन शर्मा ग्राम– लाला छपरा पो0– केशरिया थाना– केसरिया जिला– पूर्वी चम्पारण	किडनी रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/–** (**एक लाख**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000898 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–26020100006069 खाता धारक का नाम–Dr. R.M.L. Hospital खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**बैंक आफ बड़ौदा**, शाखा का नाम– RTGS/IFSC कोड स0–BARB0RAMDEL में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2979(14) पटना, दिनाक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000898 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,–226014

पटना, दिनाक ..

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **28.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राषि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रामेश्वर राम पिता– शिव कुमार राम ग्राम– भलुआ खुर्द पो0– खानपुर थाना– मांझी जिला– सारण सीआर नं0– 2026756294	हृदय रोग डीभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अजनी देवी पति– राम उदार सिह ग्राम+पो0– मानो थाना– सूर्यगढा जिला– लखीसराय सीआर नं0– 2026928347	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	विशाल कुमार पिता– बेसर चौधरी ग्राम– बसही चक हाफिज वार्ड 04 पो0– बसही थाना– जनता बाजार जिला– सारण सीआर नं0– 2019344651	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	चंदन कुमार सिंह पिता– अजय कुमार सिह ग्राम– असहनी टोले बंशी वार्ड 10 पो0– जागिया थाना– रसूलपुर जिला– सारण सीआर नं0– 206801261	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मनोज कुमार यादव पिता– रामपूजन यादव ग्राम+पो0– अशोक नगर थाना– जलालपुर जिला– सारण सीआर न0– 2026476195	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	स्वेता कुमारी सिह पिता– देवब्रत सिह ग्राम– बिश्वनिया वार्ड 08 पो0– बिश्वनिया थाना– दरौली जिला– सिवान सीआर न0– 2026265956	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अनिल शर्मा पिता– रामानद शर्मा ग्राम– तेजपुरवा टोला चौनपुर वार्ड 08 पो0– मिर्जापुर थाना– मढौरा जिला– सारण सीआर नं0– 2026862118	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	बिकाश पाण्डेय पिता– राम प्रवेश पाण्डेय ग्राम– जिगना पंडित पो0– जिगना दुबे थाना– भोरे जिला– गोपालगज सीआर न0– 20241064347	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	प्रियंका सिन्हा पति– विरेनद्र सहनी ग्राम– लोमा वार्ड 08 पो0– लोमा थाना– गायघाट जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2025967006	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	अजय सिह पिता– महेश सिंह ग्राम– कारीसाथ थाना– उदवंतनगर जिला– भोजपुर सीआर न0– 2007191687	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	विकाश कुमार पिता– राज कुमार महतो ग्राम– तारसन पो0– खरौना डीह थाना– तुर्की जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2026306568	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			12,85,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,85,000/– **(बारह लाख पचासी हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000898 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 10095237548 खाता धारक का नाम–"**निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0** खाता" खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**भारतीय स्टेट बैंक,** शाखा का नाम–**एस0जी0पी0जी0आई0,** RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0007789 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2980(14) पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000898 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,/अधीक्षक
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, गोमती नगर
लखनउ –226010

पटना,दिनाक–

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **28.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	पवन कुमार तिवारी पिता– लालबाबू तिवारी ग्राम– हलुआर पो0– अक्षयबर पिपरा थाना– सिधवलिया जिला– गोपालगज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/– (एक लाख)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000898 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–6193000100005944, खाता धारक का नाम–MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**पंजाब नेशनल बैंक**, शाखा का नाम–**विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ** RTGS/IFSC कोड स0–PUNB0619300 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2981(14) पटना, दिनाक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000896 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइस
वाराणसी –**221005**

पटना, दिनांक.. .....

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **28.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	आदित्य कुमार पिता– अजीत कुमार ग्राम– ठोरसन पो0– मर्दन राय के पिपरा थाना– करगहर जिला– रोहतास एमआरडी न0– 8696504	हृदय रोग एएसडी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विद्यावती देवी पति– प्रमोद राय ग्राम– पिपरी पो0– गोरी थाना– करगहर जिला– रोहतास एमआरडी नं0– 5788334	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कृश कुमार पिता– नीतिश कुमार ग्राम+पो0– बचरी थाना– पीरो जिला– भोजपुर एमआरडी नं0– 8437515	कैंसर / ट्यूमर	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	लक्ष्मण यादव पिता– परमेश्वर यादव ग्राम– खरान्ती पो0– चरकी थाना– मगध विश्वविद्यालय जिला– गयाजी एमआरडी नं0– 8475094	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 3,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000/– (**तीन लाख चालीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000898 द्व आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **27790100039150** खाता धारक का नाम– **Other-Paitent Relief Fund BHU,** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **Bank of Baroda,** शाखा का नाम– **BHU, Varanasi,** RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2982(14) पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000898 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14 / .एम 11–01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई –400012

पटना, दिनाक..... .....

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **28.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	शाहिदा खातून पति– मो0 शमशेर ग्राम– छोटी बलिया उपर टोला पो0– लखमिनिया थाना– बलिया जिला– बेगूसराय केस फाईल नं0– 12एफ2026 / 006273	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अनीता कुमारी पति– राजेश कुमार चौधरी ग्राम– चिरनजीवीपुर पो0– फतेहा थाना– बछवाडा जिला– बेगूसराय केस फाईल नं0– 11एफ2026 / 020577	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	भानु प्रिया पति– मनोज कुमार ग्राम0– रामजीचक पो0– बाटागज थाना– दीघा जिला– पटना केस फाईल नं0– 11 एफ 2026 / 004977	बोन मैरो ट्रासप्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
4	सीमा कुमारी पिता– हिरा महतो ग्राम– भगवान दास मोहल्ला पो0– लालबाग थाना– नगर जिला– दरभंगा केस फाईल नं0– 19एफ2024 / 004775	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000898 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **1002449683** खाता धारक का नाम– **टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई,** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– **टी0एम0एच0,** RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2983(14) पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.000898.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा0 लि0
डी0एल0 डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक.....

विषयः– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **28.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	आर्या नन्दनी पिता– सत्य प्रकाश सिंह ग्राम– श्रीरामपुर पो0– कसाप थाना– उदवंतनगर जिला– भोजपुर	ट्रामा (Knee)	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 50,000/– (पचास हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000298..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–**36180579026,** खाता धारक का नाम– **APEX WELCARE PVT. LTD** खाते का प्रकार– , बैक का नाम– **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,** शाखा का नाम– **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI** RTGS/IFSC कोड सं0–SBIN0009252 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।**
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2995 (14) पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0..000898..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0 14 /एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 नं0–3,भेल्लोर–632004

पटना, दिनांक.. ..

विषय– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक **28.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	श्रीकांत कुमार पिता– नरेश राय ग्राम– रूकुनपुर पो0– बालुकाराम थाना– वैशाली जिला– वैशाली सीएमसी नं0– एपी 39954	हृदय रोग एवीआर	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	गुलाम नवी आजाद पिता– मो0 इस्माईल ग्राम– पुरूषोत्तमपुर पो0– किशुनपुर मोहिनी थाना– कुढनी जिला– मुजफ्फरपुर सीएमसी नं0– एआई 45267	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सन्नी कुमार पिता– गुलाब मडल ग्राम– लक्ष्मीपुर वार्ड 04 पो0+थाना– साहेबपुर जिला– बेगूसराय सीएमसी नं0– एक्यू 86641	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	शिवनारायण सिह पिता– श्यामा प्रसाद सिह ग्राम– शीतला कॉलोनी वार्ड 11 पो0+थाना– जमुई जिला– जमुई सीएमसी न0– एएन 24980	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	रंजीत साव पिता– कारू साव ग्राम– बाघाखाड पो0– प्रधानचक थाना– खैरा जिला– जमुई सी0एमसीनं0–087289 जी0	हेपेटाइटीस बी0	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	उत्तम कुमार पिता– रंजीत साव ग्राम– बाघाखॉड पो0– प्रधानचक थाना– खैरा जिला– जमुई सी0एमसीनं0–087150 जी0	हेपेटाइटीस बी0	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	गौतम कुमार पिता–रंजीत साव ग्राम– बाघाखॉड 14 पोस्ट– प्रधानचक थाना– खैरा जिला जमुई सी0एम0सी0नं0–211087 जी0	हेपेटाइटीस बी0	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			8,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,10,000/– (**आठ लाख दस हजार**) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000898 ....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0–36889551846, खाता धारक का नाम– C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–एस0बी0आई0, शाखा का नाम–.भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0–SBIN 0001618 में अतरित किया जाता ।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त''बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2996 (14) पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0. 000212.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26

निदेशक प्रमुख

सं0सं0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
बी0एम0 बीडला,हार्ट रिसर्च, सेंटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता–700027

पटना, दिनांक.. .. ..

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **28.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	शेख मकसूद आलम पिता– शेख सुलेमान ग्राम– प्रतापपुर वार्ड 12 पो0– प्रतापपुर थाना– हुसैनगंज जिला– सिवान	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/– (एक लाख)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000098 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **232102000000002,** खाता धारक का नाम– बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**इंडियन ओवरसीज बैंक,** शाखा का नाम–**7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकता–700027 ब्रांच,** RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA0002321 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार**

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2997(14) पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 000898....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14 /एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
फोर्टिस अस्पताल लि0
730, आनन्दपुर ई0एम बाईपास रोड
कोलकता –700107

पटना, दिनांक ... .

विषय.– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक– **28.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रिकी देवी पति– रमेश कुमार ग्राम+पो0– चकसाहो थाना– शाहपुर पटोरी जिला– समस्तीपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/– (दो लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000878 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–**054031356905,** खाता धारक का नाम–**Fortis Hospital Limited** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **HSBC BANK LTD,** शाखा का नाम– RTGS/IFSC कोड स0 **HSBC0110005** मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जाय।

4 **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया किया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**
7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2998 (14) पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.000898.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26

निदेशक प्रमुख